भारत सरकार की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन के कियान्वयन हेतु
जनपद–शाहजहॉपुर में
गठित जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक 13.02.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे जलपूर्ति अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 95/छियत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0ए0–अ0 लखनऊ दिनांक 21.01.2020 के द्वारा पेयजल एंव स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्गत दिशा निर्देशो के अनुरूप जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यकमों के प्रभावी कियान्वन तथा मूल्याकंन तथा उनके अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन समिति की बैठक दिनांक 13.02.2023 को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार, शाहजहॉपुर में आयोजित की गयी है। बैठक में मै0 एन0सी0सी0 लि0 द्वारा प्रेषित 33 नग डी0पी0आर0, (38 ग्राम पंचायत, 67 राजस्व ग्राम) को विचारोपरान्त SWSM को प्रेषित किया जाना है। DWSM की बैठक मे निम्न सदस्यो द्वारा प्रतिभाग किया जाना प्रस्तावित है।

1	जिलाधिकारी शाहजहॉपुर	अध्यक्ष
2	मुख्या विकास अधिकारी शाहजहॉपुर	सदस्य
3	जिला विकास अधिकारी शाहजहॉपुर	सदस्य
4	प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके नामित सदस्य	सदस्य
5	जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहॉपुर	सदस्य
6	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहॉपुर	सदस्य
7	अधिशासी अभियंता वाटर रिर्सोसेस/सिंचाई शाहजहॉपुर	सदस्य
8	अधिशासी अभियंता, ग्रांउड वाटर शाहजहॉपुर	सदस्य
9	जिला कृषि अधिकारी शाहजहॉपुर	सदस्य
10	जिला सूचना एंव जनसंपर्क अधिकारी शाहजहॉपुर	सदस्य
11	अधिशासी अभियंता वि0/या0 उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद शाहजहॉपुर।	सदस्य
12	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण शाहजहॉपुर	सदस्य सचिव

1. जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन के अर्न्तगत राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल अपूर्ति हेतु फर्म मै एन0सी0सी0 लि0, हैदाराबाद को चयनित किया गया है। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो मे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से "जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति" द्वारा फर्म को 1032 ग्राम पंचायतो (2033 राजस्व ग्राम) की सूची उपलब्ध करायी गयी। ग्रामीण क्षेत्रो मे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय समय पर निर्गत किए गये निर्देशो के अनुपालन मे प्राक्कलन विरचित किये गए है, जिसकी जल निगम एवं मै0 मेधज टैक्नों कान्सेप्ट प्रा0लि0 (डी0पी0एम0यू0), शाहजहॉपुर द्वारा तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप सघनता से जांच की गयी। फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 मे ली गयी कार्यो की दरें SWSM Schedule रेट के आधार पर ली गयी है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा मानकीकृत प्रति व्यक्ति 55 एल0पी0सी0डी0 की दर से अभिकल्पित वर्ष 2052 के लिए विरचित किया गया है।
2. वर्तमान तक "जिला पेयजल मिशन" समिति द्वारा 734 नग डी0पी0आर0 (914 ग्राम पंचायत) अधिशासी निदेशक नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है तथा 731 नग (911 ग्राम पंचायत) की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इसी क्रम में आज बैठक में पुनः 33 नग डी0पी0आर0, (38 ग्राम पंचायत, 67 राजस्व ग्राम) "जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति" के समक्ष संस्तुति हेतु प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त 33 नग डी0पी0आर0, (38 ग्राम पंचायत, 67 राजस्व ग्राम) का तकनीकी परिक्षण किया गया एंव यह भी सुनिश्चित कर लिया गया कि मुख्य अभियंता ग्रामीण उ0प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश को संज्ञानित कराते हुये प्राकलनों का तकनीकी परीक्षण खंड कार्यालय., उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण शाहजहॉपुर द्वारा किया गया है, जो कि निम्नवत् हैः–

1. योजनाओ की प्रति व्यक्ति कार्य लागत जनपद के लिए औसतन 6000 रू से कम रखी गयी है, जिसकी पुष्टि तालिका के अंत मे अंकित औसत से स्पष्ट है।

2. स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिस योजना विशेष की प्रति व्यक्ति लागत रू 7000 से अधिक है, उन योजनाओ का स्थालीय परिक्षण करा लिया गया है एंव समस्त प्रस्ताव का मूल्याकंन स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप है।
3. पम्पिंग प्लांट की डिजाइन मे हैड अधिकतम 50 मी0 के आधार पर ही प्रस्तावित किया है। इसका परिक्षण अधिशासी अभियंता विद्युत यांत्रिक द्वारा कर लिया गया है।
4. सोलर पी0वी0 माडयूल की क्षमता किलोवाट, पम्प की क्षमता हार्स पावर से अधिकतम 1.4 गुना के आधार पर ही प्रस्तावित की गयी है।
5. जिन योजनाओ मे रोड कटिंग की पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत से 25 प्रतिशत से अधिक है, उस स्थिति में इसका शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण किया गया है एंव प्रस्तावित कार्य की मात्रा कार्य स्थल के अनुरूप ली गयी है।
6. योजना की डिजाइन जनसंख्या की गणना विभिन्न विधियों से की गयी है एंव आधार वर्ष से अभिकल्पित जनसंख्या अधिकतम 80 प्रतिशत की वृद्धि के अंतर्गत ही प्रस्तावित की गयी है।
7. प्रति घर व्यक्तियों की संख्या 4 से 8 के बीच रखी गयी है।
8. वितरण प्रणाली मे सैंड बेडिंग का प्रविधान नही किया गया है।
9. जलकल परिसर मे सामान्यतः मिटटी भराई प्रस्तावित नही है। जिस ग्राम पंचायत मे जलकल परिसर के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नही है एंव मिटटी भराव अपरिहार्य है, कि स्थिति में विस्तृत सर्वे कर मात्रा की गणना की गयी है एंव इसी आधार पर संस्तुति करते हुये डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गई है।
10. स्पेयर पम्पस का प्रावधान नही किया गया है।
11. योजनओ की जो विशिष्टियां राज्य योजना स्वीकृति रखी गई है, उनमे किसी भी प्रकार का तकनीकी या वित्तीय विचलन नही हो रहा है।
12. सभी कार्य सक्षम अभियंताओ की देखरेख में ही सम्पन्न कराये जाए और टी0पी0आई0 द्वारा लगातार गुणवत्त सुनिश्चित कराये जाने का अनुपालन किया जायेगा।
13. सेन्टेज चार्ज का वहन केन्द्रांश से नही किया जायेगा, प्रदेश सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुरूप इसमें निर्माण लिया जायेगा।
14. साथ ही अवगत कराना है कि योजनाओ मे प्रस्ताव का परीक्षण मौंके पर स्थलीय परीक्षण के अनुरुप लिया गया है एंव इन कार्यो के सम्पादन के उपरान्त योजना अपने उददेश्य में जनोपयोगी हो सकेगी।

- आई0एस0ए0 के कार्यो की प्रगति के सम्बन्ध में आई0एस0ए0 कोऑडिनेटर को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद शाहजहाँपुर में कार्यवृत्त आई0एस0ए0 की प्रतिदिन के कार्यों की रिर्पोटिंग लेते हुए प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें। साथ ही साथ इनके द्वारा कराये जा रहे कार्यो का सत्यापन करते हुए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आई0एस0ए0 के कार्यो को समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेगें। इसके अतिरिक्त जागरूकता अभियान एवं प्रभात फेरियों में आधुनिक तकनीकियों (वीडिया स्क्रीन) आदि का उपयोग किये जाने के भी निर्देश दिये गये।
- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में उखाड़ी जा रही सड़कों के रीइन्स्टेटमेन्ट के कार्यों को गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुबन्धित संस्था मै0एन0सी0सी0 लिमिटेड के प्रतिनिधि को कड़े निर्देश दिये गये कि रोड रीइन्स्टेमेन्ट के कार्य गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। रोड कटिंग की पुर्ननिर्माण समय से पूर्ण कराने में किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाये ताकि भविष्य में किसी दुर्घटना होने से बचा जा सके।
- अनुबन्धित संस्था मै0एन0सी0सी0 लिमिटेड को कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु और अधिक मैन पॉवर (स्टाफ श्रमिकों की संख्या) बढ़ाने हेतु जिलाधिकारी महोदय कड़े निर्देश दिये गये ताकि जल जीवन मिशन के कार्यों को समय से पूर्ण किया जा सके।
- अनुबन्धित संस्था को पेयजल गृह संयोजन की प्रगति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिदिन 2000 पेयजल गृह संयोजन कराये जाने के कड़े निर्देश पारित किये गये।
- डी0पी0आर0 की प्रगति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त डी0पी0आर0 शीघ्र प्रस्तुत किये जायें।
- त्रिपक्षीय अनुबन्ध प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण को निर्देशित किया गया कि शीघ्र अवशेष त्रिपक्षीय कवर अनुबन्ध प्राप्त कर अग्रसारित कराना सुनिश्चित करें ताकि कवर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

उक्त कम मे ग्रामीण क्षेत्रो मे पेयजल अपूर्ति हेतु 33 नग डी0पी0आर0, (38 ग्राम पंचायत, 67 राजस्व ग्राम) जल निगम द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरांत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए।

प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन नमामि गंगें जलापूर्ति अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के आदेश संख्या–51/2021/1948/छियत्तर–1–2021–25 राम/2019 दिनांक 06.08.2021 के अनुपालन मे कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राकलनों को नियमानुसार रू 5.00 करोड़ से कम लागत की योजनाओ की स्वीकृति "जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन" समिति द्वारा प्रदान की जानी है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त उक्त 33 नग डी0पी0आर0 (67 राजस्व ग्राम) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) की संस्तुति के आधार पर स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
शाहजहाँपुर।
(सदस्य सचिव)

अधिशासी अभियन्ता
(वि0/यां0)
खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम,
मुरादाबाद।
सदस्य

अधिशासी अभियन्ता
लघु सिंचाई,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला कृषि अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

अधिशासी अभियन्ता
वाटर रिर्सोसेस/सिंचाई
शाहजहाँपुर।
सदस्य

(ADFO)
जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, शाहजहाँपुर
सदस्य

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

प्रभागीय बनाधिकारी स्वयं अथवा
उनके नामित सदस्य,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

मुख्य विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
मुख्य विकास अधिकारी
शाहजहाँपुर

जिलाधिकारी, (अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
शाहजहाँपुर।